(परिपत्र 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

सियाराम गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0 नं0 ....सन –2023

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2023	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री गणपत सिंह नरूका द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 13–11–2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण [illegible] पेशी दिनांक 23-1-24 लगाई जाती है। रीडर 23-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष [illegible]। पीठासीन अधिकारी अन्य [illegible] [illegible] है। दिनांक 28-2-24 को पेश हो। रीडर 28-2-24 पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य व्यस्त होने के कारण पत्रावली [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।	

24-4-24

पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य व्यस्त होने के कारण पत्रावली [illegible] दिनांक 4-6-24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 13-8-24 को पेश हो।

13-8-24

वकील वादी/वकलाय उप०। बार का काम [illegible] होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 12-11-24 को पेश हो।

12/11/24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 17-12-24 को पेश हो।

17-12-24

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त, बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 19-12-24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

19-12-24

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति हमराह तहसीलदार अलवर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 30	17.10.2023	136 LR Act	19.12.2024

उनवान

1:–सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर
प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान
– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1380 रकबा 0.44 है0, 290 रबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.13 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 है0 भूमि वाके ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर मे स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी 1/4 हिस्सा का बतौर खातेदार के मालिक काबिज है प्रार्थी का समस्त रिकार्ड मे रिकार्डेड नाम सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर दर्ज है।

प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1380 रकबा 0.44 है0, 290 रबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.13 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 है० के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर के स्थान पर खिल्लु पुत्र नानगराम दर्ज हो गया है। जिसकी जानकारी हाल ही मे प्रार्थी द्वारा नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर हुई है मुताबिक दस्तावेजी रिकार्ड के मुताबिक प्रार्थी का नाम खिल्लु पुत्र नानगराम को संशोधित किया जाकर सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर अंकित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है

प्रार्थी द्वारा अपने नाम के संशोधन के सबंध में श्रीमान प्रार्थी का स्वंय का आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर राज० द्वारा जारी कक्षा 10वीं की अंकतालिका की फोटो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

प्रति पेश की जा रही है जिसमे प्रार्थी का नाम सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर दर्ज है। जिस आधार पर प्रार्थी आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम को दुरूस्त कराने का अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दस्तावेजात के आधार पर हाल आराजी खसरा नंबर 1380 रकबा 0.44 है0, 290 रबा 0.20 है0, 336 रकबा 0.13 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 है० भूमि वाके ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक हाल जमाबन्दी वाके ग्राम उमरैण के खाता स. 23 मे ख.न. 1380 रकबा 0.44, 290/0.20, 336/0.13 किता 3/0.77 नाबालिग बिल्लू पुत्र नानगराम सरंक्षक सरपरस्त पिता खुद हि.1/4 जाति गूर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष हि. 3/4 मु. जमाबन्दी संलग्न अनुसार दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता स. 23 में नाबा. पुत्र बिल्लू पुत्र नानगराम सरंक्षक पिता खुद जाति गूर्जर दर्ज रिकार्ड को प्रार्थी सियाराम पुत्र नानगाराम जाति गूर्जर को दुरुस्त करने हेतु अनुतोष चाहा गया है मौके पर की गई जाँच प्रस्तुत में प्रार्थी को सियाराम उर्फ खिल्लूराम दोनो नामो से बोला जाता था प्रार्थी जब ना.बा. था उसी समय संरक्षक पिता द्वारा सियाराम के स्थान पर घरेलू प्यार के नाम खिल्लू दर्ज करवा दिया था चूकि उस समय सियाराम को ही खिल्लू कहते थे तथा प्रार्थी के नाम के संदर्भ में ग्रामवासियो एंव पडोसियान से जानकारी व पूछताछ करने पर जाहिर किया कि सियाराम उर्फ खिल्लूराम पुत्र नानगाराम जाति गूर्जर दोनो एक ही व्यक्ति है

उक्त प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत उमरैण द्वारा दिनांक 27/03/2024 को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। जिसमे सियाराम पुत्र नानगाराम जाति गूर्जर निवासी उमरैण खिल्लू पुत्र नानगाराम दोनो एक ही व्यक्ति है तथा खिल्लू के स्थान पर सियाराम पुत्र नानगराम जाति गूर्जर सा. उमरैण को सही किये जाने की अभिषंशा की गई है प्रकरण में प्रार्थी द्वारा 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी द्वारा बयान किये है कि मेरा आधार कार्ड, अंक तालिका में सही नाम सियाराम गूर्जर है जो कि सही है मुझे इसी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

नाम से जाना पहचाना जाता है दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अलग नहीं है यह है कि नामो को लेकर कोई परेशानी आती है तो मेरी स्वंय की जिम्मेदारी होगी जो दिनांक 01/04/2024 को नोटेरी से प्रमाणित है तथा ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल द्वारा पहचान की गई है

प्रार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आयकर विभाग का पैन कार्ड संख्या CUFPG2320A आधार कार्ड स.3169 8415 9606 दस्तावेजो को प्रस्तुत किया गया जिसमे सियाराम गुर्जर पुत्र नानगाराम गुर्जर अंकित है नामान्तकरण संख्या 418 बैय निर्णय दिनांक 26/05/2007 में उक्त आराजी को रामसहाय पुत्र मोहन गूर्जर जरिये बैयनामा से खिल्लू पुत्र नानगाराम जाति गूर्जर नाबा. सरपरस्त पिता खुद हि. 1/4 सा. देह खातेदार फैसल किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम चला आ रहा है। अर्थात राजस्व त्रुटि नहीं है।

अतः उक्त आराजी ख.न. 1380 रकबा 0.44, 290/0.20, 336/0.13 किता 3/0.77 मे जरिये नामा. स. 418 बैय स्वीकृत तहसीलदार अलवर द्वारा निर्णय को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का उमरैण एंव जाँच भू.अ.नि. भूगोर द्वारा जाँच ग्राम वासियान एंव पडोसियान से जानकारी व पूछताछ करने पर जाहिर हुआ तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अंकतालिका, पैन कराड, आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा सरपंच साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खिल्लू पुत्र नानगाराम के बजाय सियाराम गूर्जर पुत्र नानगाराम गूर्जर को शुध्द करने मे प्रार्थी के सकारात्मक निराकरण किया जाकर जाँच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया रिपोर्ट मे स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आयकर विभाग का पैन कार्ड संख्या CUFPG2320A आधार कार्ड स.3169 8415 9606 दस्तावेजो को प्रस्तुत किया गया जिसमे सियाराम गुर्जर पुत्र नानगाराम गुर्जर अंकित है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एंव ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनॅाक 27.3.24 मे उक्त शुद्वि किये जाने की अभिशंषा की गई है अतः वाके ग्राम उमरैण के खाता स. 23 मे ख.न. 1380 रकबा 0.44, 290/0.20, 336/0.13 किता 3/0.77 नाबालिग खिल्लू पुत्र नानगराम सरंक्षक सरपरस्त पिता खुद हि. 1/4 जाति गूर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है मे अंकित "खिल्लू पुत्र नानगराम" के स्थान पर "सीयाराम गुर्जर पुत्र नानगराम गुर्जर" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 19-12-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner